



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बृहस्पतिवार, 07 मई, 2026 ई०

बैशाख 17, 1948 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

राजस्व अनुभाग-03

संख्या- 243 / XVIII(3) / 2026-02(05)2026

देहरादून, 07 मई, 2026

अधिसूचना

जनपद हरिद्वार में विधानसभा क्षेत्र बी०एच०ई०एल० रानीपुर में रोशनाबाद-बिहारीगढ़ मोटर मार्ग के कि०मी० 3.00 के हेतमपुर में पथरी रोह नदी पर सेतु का नव-निर्माण कार्य हेतु ग्राम आन्ननेकी हेतमपुर की कुल 0.4213 हे० भूमि का धारा-11 की अधिसूचना

प्रारूप- 11
प्रारम्भिक अधिसूचना

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,
2013 के अनुसार)

संख्या- 1653/आठ-वि०भू०अ०अ०-हरिद्वार (2026-27)

दिनांक- 13 अप्रैल, 2026

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए जनपद हरिद्वार में विधानसभा क्षेत्र बी०एच०ई०एल० रानीपुर में रोशनाबाद-बिहारीगढ़ मोटर मार्ग के कि०मी० 03 के हेतमपुर में पथरी रोह नदी पर सेतु का नवनिर्माण कार्य हेतु ग्राम आन्नेकी हेतमपुर की कुल 0.4213 है० (सरकारी 0.1364 है० तथा निजी 0.2849 है०) भूमि अपेक्षित है, अर्थात् जिसका भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) तथा उत्तराखण्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (प्रतिकर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन विकास योजना) नियमावली 2016 के तहत अर्जन किया जाना है की प्रारम्भिक अधिसूचना निम्नवत् की जाती है। शासन की अधिसूचना 09.02.2016 के द्वारा प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन हेतु प्रशासक के रूप में अपर जिलाधिकारी को नियुक्त किया जाता है।

जनपद- हरिद्वार

तहसील- रुड़की

क्र०सं०	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	अधिग्रहित रक्बा है० में
01	आन्नेकी हेत्तमपुर	1191	0.0602
02		1193	0.1204
03		1184क	0.0104
04		1184ख	0.0538
05		1194	0.0301
06		1538	0.0204
07		1267 क	0.1260
योग			0.4213

जनपद हरिद्वार में विधानसभा क्षेत्र बी०एच०ई०एल० रानीपुर में रोशनाबाद-बिहारीगढ़ मोटर मार्ग के कि०मी० 03 के हेतमपुर में पथरी रोह नदी पर सेतु का नवनिर्माण कार्य हेतु ग्राम आन्नेकी हेतमपुर की कुल 0.4213 है० भूमि उपरोक्त अधिनियम 2013 तथा उत्तराखण्ड सामाजिक समाघात निर्धारण और सहमति अध्ययन नियमावली 2015 के तहत उक्त ग्राम में अर्जित की जाने वाली नाप भूमि अर्जन हेतु सामाजिक समाघात अध्ययन चयनित प्रो० जगदीश चन्द्र आर्य, विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, एस०एम०जे०एन० (पी०जी०) कॉलेज हरिद्वार द्वारा पूर्ण किया गया है। दिनांक 29.10.2025 तक जन सुनवाई को पूर्ण की गई तथा दिनांक 20.03.2026 को

मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट का मूल्यांकन किया गया है, जिसके सार बिन्दु निम्नवत् हैं:-

- 1- लोक निर्माण विभाग द्वारा जनपद हरिद्वार में विधानसभा क्षेत्र बी०एच०ई०एल० रानीपुर में रोशनाबाद-बिहारीगढ़ मोटर मार्ग के कि०मी० 03 के हेतमपुर में पथरी रोह नदी पर सेतु का नवनिर्माण कार्य हेतु ग्राम आन्नेकी हेतमपुर की कुल 0.4213 है० (सरकारी 0.1364 है० तथा निजी 0.2849 है०) भूमि प्रस्तावित है। इसलिए भूमि अधिग्रहित हेतु न्यूनतम क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है।
- 2- यह परियोजना पूर्णरूप से सामाजिक तथा पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। इस परियोजना हेतु अधिग्रहित भूमि से कोई भी परिवार भूमिहीन नहीं हो रहा है और न ही किसी परिवार का विस्थापन किया जाना है।
- 3- सामाजिक समाघात मूल्यांकन के अन्तर्गत समाज के विभिन्न पहलुओं पर पड़ने वाले प्रभावों को भी प्रभावित परिवारों से जानने का प्रयास किया गया, प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रभावित परिवार इस परियोजना के पक्ष में है।
- 4- सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट उपयुक्त शोध पद्धति के आधार पर तैयार की गई है। रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक मानकों के आधार पर किया गया है। समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि सेतु निर्माण की कुल लागत का 1 प्रतिशत भूमि संरक्षण एवं वृक्षारोपण हेतु कार्य पर खर्च किया जाये।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जनपद हरिद्वार में विधानसभा क्षेत्र बी०एच०ई०एल० रानीपुर में रोशनाबाद-बिहारीगढ़ मोटर मार्ग के कि०मी० 03 के हेतमपुर में पथरी रोह नदी पर सेतु का नवनिर्माण कार्य हेतु सामाजिक समाघात को कम करने के लिए लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों/उपायों को सम्पादित करने पर विशेष ध्यान देगा। साथ ही विशेषज्ञ समूह द्वारा की गई सिफारिशों पर भी अमल करेगी। जिससे प्रभावितों पर परियोजना का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना रिपोर्ट का कार्यकारी सार अवलोकन हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उक्तानुसार कार्यालय में किया जा सकता है।

अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा जनपद हरिद्वार में विधानसभा क्षेत्र बी०एच०ई०एल० रानीपुर में रोशनाबाद-बिहारीगढ़ मोटर मार्ग के कि०मी० 03 के हेतमपुर में पथरी रोह नदी पर सेतु का नवनिर्माण कार्य हेतु ग्राम आन्नेकी हेतमपुर की कुल 0.4213 है० भूमि, जिसका विवरण संलग्न है, का अर्जन किया जाता है :-

उपबंध-।

परियोजना का नाम : केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि (CRIF)(मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 300/2022) के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में विधानसभा क्षेत्र बी0एच0ई0एल0 रानीपुर में रोशनाबाद-बिहारीगढ़ मोटर मार्ग के कि0मी0 3 के हेतमपुर में पथरी रोह नदी पर सेतु का नव निर्माण कार्य।

1. गांव का नाम - आन्नेकी हेतमपुर परगना-ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार।
2. तालुक/उपखण्ड/तहसील/ब्लॉक का नाम - हरिद्वार।
3. नगर पालिका/नगर निगम का नाम -रोशनाबाद-बिहारीगढ़ मोटर मार्ग के कि0मी0 3 के हेतमपुर में पथरी रोह नदी पर सेतु के नव निर्माण कार्य मौजा आन्नेकी हेतमपुर में पुल के प्रारम्भ बिन्दु से पुल के अन्तिम भाग तक ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ता है।(खण्ड विकास अधिकारी बहादुराबाद एवं अधिशार्सी अधिकारी नगर पालिका परिषद शिवालिक नगर के द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र संलग्न।)
4. जिले का नाम - हरिद्वार।
5. अर्जित की जाने वाली सर्वे संख्या -

क्र सं0	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खाता संख्या	सर्वेक्षण खसरा संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	खसरे का पूरा क्षेत्रफल (हे0)	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे0)	अभिलेखों अनुसार अभिलिखित भू-स्वामी का नाम	अन्य विवरण
I	हरिद्वार	आन्नेकी हेतमपुर	209	1191	निजी	कृषि	0.7270	0.0602	कामनी/सुरेश कुमार निवासी मालियान ज्वालापुर। श्री विमल भार्गव/ सोमदत्त भार्गव निवासी मा0 चाकलाग ज्वालापुर। श्री अतर सिंह व शोभाराम पुत्रगण श्री सुक्कड़ सिंह व श्रीमति सपना देवी पत्नी ब्रह्मपाल सिंह, निवासीगण ग्राम आन्नेकी हेतमपुर परगना रुड़की तहसील व जिला हरिद्वार, श्रीमती वृज रानी पत्नी किशन चन्द मा0नं0 56 नन्द विहार अवधूत मण्डल। अनीता पुत्री स्व0 सीताराम गोस्वामी नि0 मोहल्ला चौपटा कनखल, हरिद्वार।	
II	हरिद्वार	आन्नेकी हेतमपुर	1125	1193	निजी	कृषि	1.444	0.1204	श्री सूरजभल व छतरा पुत्रगण कलीराम निवासी ग्राम। चन्द्रपाल व देशराज पुत्रगण दयाराम व श्रीमति प्रसन्दी पत्नी स्व0 दयाराम नि0 ग्राम। संजीव कुमार, गितोन्द्रकुमार, राजीव कुमार पुत्रगण ओम प्रकाश व मूर्ति देवी पत्नी स्व0 ओम प्रकाश श्री सरजू प्रसाद/मथुरा दास/नि0 जैव मण्डल स्कूल फलादी गेट फगवाड़ा। श्री अरविन्द तोमर पुत्र श्री मेघ सिंह तोमर नि0 आर-162, शिवालिक नगर भेल रानीपुर हरिद्वार तहसील व जिला हरिद्वार व अरसद अली पुत्र श्री हाफीज असरफ नि0 ग्राम भीरपुर मुवाजपुर तहसील व जिला हरिद्वार हॉल निवासी मोहल्ला सीता वी रुड़की तहसील रुड़की	

									जिला हरिद्वार व मोहम्मद खालिद हुसैन पुत्र श्री राशिद हुसैन निवासी मोहल्ला कैतवाडा नजदीक हज्जन का कुआं ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार व प्रवीण शर्मा पुत्र श्री भोजराज शर्मा निवासी एच-175, शिवालिक नगर भेल रानीपुर तहसील व जिला हरिद्वार। सुमन दीप स्याल व तैजेन्द्र स्याल पुत्रगण राजेन्द्र स्याल नि० फगवाडा। महाराम/रखाराम/नि० फगवाडा। ओमप्रकाश/जयराम/नि०ग्राम सुषमा/पत्नी सुरेशचन्द्र/महोबेवाला तहसील व जिला देहरादून। अशोक कुमार/विक्रम सिंह/नि० ग्रामकृष्णपाल शर्मा/धर्मपाल शर्मा/त्रयिकेश जिला देहरादून वसुमित्र त्यागी/सत्यव्रता राजेश/आर्य नगर ज्वालापुर/ब्रह्मपुरी रावली महदूद हरफूल/लटूर/नि०ग्रामरजत कुमार व सागर पुत्रगण स्व० रूपचन्द्र व मोहिनी दिवाकर खुशबू व अनी दिवाकर पुत्रीगण स्व० रूपचन्द्र व श्रीमती सरोज पत्नी स्व० रूपचन्द्र निवासी ग्राम ब्रह्मपुरी रावली महदूद तहसील व जिला हरिद्वार।	
III				1184क	सरकारी		0.1740	0.0104	नदी	
IV	हरिद्वार	आन्नेकी हेत्तमपुर	141	1184ख	निजी	कृषि	0.9010	0.0538	ओमप्रकाश/जयराम/नि०ग्राम सुषमा/पत्नी सुरेशचन्द्र/महोबेवाला तहसील व जिला देहरादून। अशोक कुमार/विक्रम सिंह/नि० ग्राम कृष्णपाल शर्मा/धर्मपाल शर्मा/त्रयिकेश जिला देहरादून वसुमित्र त्यागी/सत्यव्रता राजेश/आर्य नगर ज्वालापुर/ब्रह्मपुरी रावली महदूद हरफूल/लटूर/नि०ग्राम रजत कुमार व सागर पुत्रगण स्व० रूपचन्द्र व मोहिनी दिवाकर खुशबू व अनी दिवाकर पुत्रीगण स्व० रूपचन्द्र व श्रीमती सरोज पत्नी स्व० रूपचन्द्र निवासी ग्राम ब्रह्मपुरी रावली महदूद तहसील व जिला हरिद्वार।	
V	हरिद्वार	आन्नेकी हेत्तमपुर	1125	1194	निजी	कृषि	0.0610	0.0301	श्री सरजू प्रसाद/मथुरा दास/नि० जैव मण्डल स्कूल फलादी गेट फगवाडा श्री अरविन्द तोमर पुत्र श्री मेघ सिंह तोमर नि० आर-162, शिवालिक नगर भेल रानीपुर हरिद्वार तहसील व जिला हरिद्वार व अरसद अली पुत्र श्री हाफीज असरफ नि० ग्राम मीरपुर मुवाजपुर तहसील व जिला हरिद्वार हॉल निवासी मोहल्ला	

									सौत बी रुड़की तहसील रुड़की जिला हरिद्वार व मोहम्मद खालिद हुसैन पुत्र श्री राशिद हुसैन निवासी मोहल्ला कैतवाड़ा नजदीक हज्जन का कुआं ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार व प्रवीण शर्मा पुत्र श्री भोजराज शर्मा निवासी एच-175, शिवालिक नगर भेल रानीपु तहसील व जिला हरिद्वार। सुमन दीप स्याल व तेजेन्द्र स्याल पुत्रगण राजेन्द्र स्याल नि0 फगवाड़ा। महाराम/रक्खाराम/नि0 फगवाड़ा।	
VI	हरिद्वार	आन्नेकी हेतमपुर	610	1538	निजी	अकृषि	0.0820	0.0204	श्री वीरबल/कन्दू/ सलेमपुर महदूद, श्रीमती मुकेश पत्नी श्री सुरेन्द्र निवासी भिवका माजरा शामली जिला शामली लोकेश कुमार पुत्र श्री रहतु सिंह निवासी ग्राम आन्नेकी। विनय कुमार पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार नि0 ग्राम डालूवाला कलां परगना रुड़की तहसील व जिला हरिद्वार हरपाल पुत्र श्री धुला नि0 मैनमाना, टिकरी रूरल बागपत उत्तर प्रदेश।	
VII				1267 क	सरकारी		50.674	0.1260	नदी	
						कुल रकबा		0.4213 है0		

6. अनुरोध के अधीन कुल क्षेत्र (है0) -0.4213 है0

निजी कुल क्षेत्रफल 0.2849 है0

सरकारी क्षेत्रफल 0.1364 है0

7. अर्जित किये जाने वाले क्षेत्र की सीमायें -

पूर्व - काश्तकारों की कृषि भूमि।

पश्चिम - काश्तकारों की कृषि भूमि।

उत्तर - अन्य काश्तकारों की भूमि।

दक्षिण - पुराना सेतु।

8. कृषि और असिंचित भूमि का क्षेत्र -0.4213 है0

9. कृषि और असिंचित बहु-फसली भूमि को सम्मिलित करने का कारण -केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि (CRIF)(मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 300/2022) के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में विधानसभा क्षेत्र बी0एच0ई0एल0 रानीपुर में रोशनाबाद-बिहारीगढ़ मोटर मार्ग के कि0मी0 3 के हेतमपुर में पथरी रोह नदी पर सेतु का नव निर्माण कार्य हेतु।

यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, हरिद्वार के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, हरिद्वार और उनके कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य में उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम के धारा-11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् कय/विकय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाईल किये जा सकेंगे।

स्थान — हरिद्वार

दिनांक— 13 अप्रैल, 2026

हस्ताक्षर अस्पष्ट

मयूर दीक्षित
समुचित सरकार/कलेक्टर,
हरिद्वार।

सुनील सिंह,
अपर सचिव।